रामभक्त देश के चेहरे पर लगे धब्बे को हटाएं, अयोध्या में मंदिर बनायें : विज

चंडीगढ़, 07 दिसम्बर (ए)। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर उत्तेजक बयान देते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने राम भक्तों से कहा है कि वे अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाकर देश के चेहरे पर लगे धब्बे को हटाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी और अब राम भक्तों को यह धब्बा हटाना चाहिए। वज़ि ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, 'जब बाबर ताकतवर था, उसने राम मंदिर तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवा दी। उसने ऐसा किसी कानून के अनुसार नहीं किया था। जब रामभक्त शक्तिशाली हुए, उन्होंने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आधा काम किया है। जिस दिन वह और ताकतवर होंगे, वह वहां मंदिर का निर्माण करेंगे और हिसाब बराबर कर लेंगे।' मंत्री से जब उनके ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी टिप्पणी दोहराते हुए रामभक्तों से अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर बनाने के लिए कहा। अतीत में अपने बयान से विवाद पैदा करने वाले विज ने कुछ दिन पहले लोगों से राम मंदिर निर्माण पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति और राजनीतिक दल तथा धार्मिक एवं सामाजिक संगठन को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

दुबई में हिरासत में लिए गए सिंगर मीका सिंह, छेड़छाड़ का आरोप

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर (ए)। फिल्म गायक मीका सिंह को दुबई में हिरासत में ले लिया गया है। आधिकारिक रूप से हिरासत में लिए जाने के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि उन पर ब्राजील की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। बताया जा रहा है कि उन्हें बुधवार और गुरुवार की रात में करीब तीन बजे दुबई की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मीका पर ब्राजील की एक 17 साल की लड़की को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का आरोप है। दुबई पुलिस ने मीका को हिरासत में लेकर थाने में रखा है। खबर है कि उन्हें दुबई में मुरक्काबात के थाने में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार मीका एक बॉलीवुड परफॉमरमेंस के लिए दुबई में थे। पकड़े जाने के बाद उनके दोस्तों ने उनकी जमानत का भी प्रयास किया। मीका पहले भी अपने विवादों के कारण जाने जाते रहे हैं। इसके पहले 2015 में दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक डॉक्टर पर हाथ उठाने के लिए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2014 में उनपर हिट एंड रन का केस दर्ज किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर अपनी गाड़ी एक ऑटो रिक्शा से टकरा दी थी। इससे पहले 2006 में राखी सावंत ने जबरन किस करने के लिए उन पर केस दर्ज कराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कुरियन जोसफ के दावे पर तुरंत सुनवाई से किया इन्कार

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसफ के दावे की जांच करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार किया। शीर्ष कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के कार्यकाल के दौरान कोर्ट के कामकाज पर बाहरी दबाव था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील द्वारा अपनी याचिका पर दी गई दलील स्वीकार नहीं की। वकील ने तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि खबरें संस्थान की विश्वसनीयता से जुड़ी हैं। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसफ भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि संस्थान की विश्वसनीयता अखबार की खबरों से तय नहीं होती हैं। कोर्ट ने वकील से अपनी पवित्रता बनाए रखना सुनिश्चित करने और शीर्ष कोर्ट को खुद का ध्यान रखने के लिए छोड़ देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर नियमित आधार पर सुनवाई होगी।

मामूली झगड़े पर बेटे के सामने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी की

मुंबई, 07 दिसम्बर (ए)। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाबलेश्वर के एक होटल में एक व्यक्ति ने बेटे के सामने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ 34 वर्षीय अनिल शिंदे और उनकी पत्नी सीमा (30) सतारा जिले में स्थित इस पर्यटन स्थल की यात्रा पर आए थे। अपने होटल के कमरे में लौटने पर दंपति के बीच संभवत: कहासुनी हुई। बच्चे ने पुलिस को बताया कि अपने माता-पिता के बीच हो रही बहस से वह जाग गया। उसने पाया कि उसका पिता उसकी मां पर एक चाकू से हमला कर रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के निजी स्कूलों ने नहीं लौटाई बच्चों से वसूली गई फीस

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर (ए)। राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों ने बढ़ाई गई ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से ली गई भारी भरकम राशि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं लौटाई है। सोशल ज्यूरिस्ट व दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और याचिकाकता अशोक अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली के निजी स्कूलों पर अभिभावकों का 750 करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, जिसे लौटाया जाना अभी बाकी है।

याचिकाकर्ता अशोक अग्रवाल ने आईएएनएस से कहा, दिल्ली के निजी स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिदेर्शों के खिलाफ डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से 400 करोड़ रुपये वसूले थे। जिसकी जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश अनिल देव की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की फीस समीक्षा कमेटी ने मजबूती से काम किया और इसमें उन्होंने 1,216 स्कूलों में से 785 स्कूलों को दोषी पाया। उन्होंने कहा, कमेटी ने 602 स्कूलों से नौ फीसदी ब्याज के साथ फीस लौटाने को भी कहा है। साथ ही बाकियों में शिक्षा निदेशालय को विशेष निरीक्षण भी करने को कहा गया है। पांच स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने बढ़ी फीस के तौर पर लिए गए 28.37 लाख रुपये लौटा दिए हैं लेकिन अभी भी 750 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा लौटाया जाना बाकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि 602 स्कूलों ने बच्चों से फीस के नाम पर 17,788 लाख रुपये ज्यादा वसूले। अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन स्कूलों में से 254 स्कूलों ने जरूरत से ज्यादा फीस बढ़ा रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन 602 स्कूलों में बाकी के 348 स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने यहां लागू करने के नाम पर फीस में वृद्धि कर अभिभावकों से भारी भरकम रकम तो ली, लेकिन इन सिफारिशों को या तो लागू नहीं किया या इसे लागू करने के ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि 183 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फीस नहीं बढ़ाने का दावा किया लेकिन कमेटी को वे दावे भरोसे लायक नहीं लगे। वहीं, 407 स्कूलों में कमेटी ने फीस बढ़ोतरी को जायज पाया है। उन्होंने कहा, इन 602 निजी स्कूलों के अलावा करीब 200 स्कूलों का रिकॉर्ड फर्जी निकला है। कमेटी ने शिक्षा निदेशालय को इन स्कूलों का भी विशेष निरीक्षण करने को कहा है। इसका मतलब है कि वो भी पैसे वापस करेंगे। इस तरीके से यह करीब 80 फीसदी स्कूल हो गए, जिन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया और वापस नहीं किया। अधिवक्ता ने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास 130 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है।

साल 2017 में प्रदूषण के चलते भारत में करीब 12.4 लाख लोगों ने जान गंवाई

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर (ए)। भारत में पिछले साल तंबाकू के इस्तेमाल के मुकाबले वायु प्रदूषण से लोग अधिक बीमार हुए और इसके चलते प्रत्येक आठ में से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। बृहस्पतिवार को एक अध्ययन में ऐसा कहा गया है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया कि हवा के अत्यंत सूक्ष्म कणों-पीएम 2.5 के सबसे ज्यादा संपर्क में दिल्ली वासी आते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा का नंबर आता है। इसमें कहा गया कि 2017 में करीब 12.4 लाख मौतों के पीछे वायु प्रदूषण वजह थी। साथ ही इसमें वायु प्रदूषण को देश में होने वाली मौतों के पीछे के खतरों में से सबसे बड़ा बताया गया है जहां औसत जीवन प्रत्याशा 1.7 गुणा ज्यादा होती अगर प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले स्तर से नीचे होता। अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 18 फीसदी लोगों ने समय से पहले या तो अपनी जान गंवा थी अथवा बीमार पड़ गए। इसमें भारत का आंकड़ा 26 फीसदी था। पिछले साल वायु प्रदूषण के कारण जिन 12.4 लाख लोगों की मौत हुई थी उनमें आधे से अधिक की उम्र 70 से कम थी। इसमें कहा गया कि भारत की 77 प्रतिशत आबादी घर के बाहर के वायु प्रदूषण के उस स्तर के संपर्क में आई जो नेशनल एंबियंट एअर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (एनएएक्यूएस) की सुरक्षित सीमा से ऊपर था। अध्ययन में पाया गया कि घर के बाहर के प्रदूषण का स्तर खास कर उत्तर भारत के राज्यों में अधिक था।

2019 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने चला आरक्षण का बड़ा कार्ड

रामपुर, 07 दिसम्बर (ए)। 2019 लोकसभा चुनाव से चंद माह पहले यूपी सरकार ने प्रदेश के सिख और मुस्लिम जाटों को लुभाने आरक्षण का बड़ा कार्ड खेला है। अभी तक प्रदेश में सिर्फ जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ मिलता था लेकिन, अब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मुस्लिम और सिख जाटों को भी ओबीसी का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक की ओर से जारी शासनादेश में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को ओबीसी के अंतर्गत जाति प्रमाण जारी करने को निर्देशित किया है।

अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने गुरुवार को रामपुर में भाजपा जिला महामंत्री हंसराज पप्पू के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पांच दिसंबर को जारी शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सिख और मुस्लिम जाटों को अब ओबीसी का लाभ मिलने लगेगा। उत्तर प्रदेश में लाखों सिख और मुस्लिम जाट रहते हैं, ये वर्ष 1999-2000 से जाटों की तरह ही पिछड़ी जाति के आरक्षण के लाभ के लिए संघर्षरत थे। कई बार इसकी मांग ज्ञापनों तो कई बार मंचो से की गई थी। जिसे अब आकर सरकार ने मान लिया है। राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख का कहना है कि उत्तर प्रदेश में करीब 38 से 40 लाख सिख एवं मुस्लिम जाट हैं, जिन्हें अब ओबीसी का लाभ मिल सकेगा। राज्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण बलदेव सिंह औलख ने कहा, सिख और मुस्लिम जाटों को चुनाव से लेकर नौकरी तक में ओबीसी केटोगरी को मिलने वाली सभी सहूलियतों का लाभ अब मिलेगा। इसके लिए लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी और राजाज्ञा आप सबके सामने है।

नीतीश कुमार खराब और बीजेपी अच्छी कुशवाहा की दोहरी नीति समझ से परे : मांझी

पटना, 07 दिसम्बर (ए)। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की दोहरी नीति समझ के परे है। नीतीश कुमार खराब और भाजपा अच्छी, यह उनकी दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही। वह कौन सा खेल खेल रहे हैं। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम मांझी ने कहा कि आज तक उपेन्द्र कुशवाहा ने यह नहीं कहा कि महागठबंधन बहुत अच्छा है। वे सस्पेंस बना कर राजनीति में बने रहना चाहते हैं । इससे पूर्व मांझी ने पार्टी कार्यालय में गुरुवार को अंबेडकर की पुण्यतिथि समारोह में कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया है उसमें कटौती हो रही है। संविधान को आघात पहुंचाया जा रहा है। कहा कि सरकार ऐसा कानून बनाए, जिसमें मंत्री व गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ें। महादलित समाज के हक के लिए आंदोलन करना पड़े तो वह करेंगे। बाद में पत्रकारों से कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण लोग बंटे हुए हैं लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। पीयू छात्र संघ चुनाव पर श्री मांझी ने कहा कि जब चुनाव आचार संहिता लगी थी तो प्रशांत किशोर वीसी से मिलने क्यों गए थे। वहां चार घंटा क्या कर रहे थे। वे राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि इस विषय को गंभीरता से लेकर जांच कराएं। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के मुख्य मुद्दों से आम जन का ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मसले को उभारा जा रहा है।

ढहाया गया भगोड़े नीरव मोदी का अलीबाग स्थित अवैध बंगला

मुंबई, 07 दिसम्बर (ए)। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया किया कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के रायगढ़ जिले में बने अवैध बंगले को ढहा दिया गया है। यह बंगला अलीबाग इलाके में समुद्र तट के किनारे बनाया गया था। सरकारी वकील पी बी काकोडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायाधीश एम एस कार्णिक की खंडपीठ को यह भी बताया कि इसके अलावा राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानकों का उल्लंघन करके बनीं 58 निजी संपत्तियों को ढहाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने खंडपीठ के पूर्व के एक आदेश का पालन करते हुये यह जानकारी दी। अदालत ने सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों और अलीबाग के बीच पर अवैध निर्माण से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था।

अलीबाग को पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है। सरकार ने शपथपत्र दायर करके अदालत को बताया नीरव मोदी का अवैध बंगला पांच दिसम्बर को जमींदोज कर दिया गया और चार दिसम्बर को ढहाने संबंधित नोटिस जारी करके दूसरे बंगलों के मालिकों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध इमारतों को गिरा दें। शपथपत्र में कहा गया है कि 61 दूसरी संपत्तियों के मालिकों ने स्थानीय अदालतों से भवन तोड़े जाने पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया है।

सरकार इन आदेशों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर तय की है। न्यायालय इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें अदालत से शासन को यह आदेश देने का आग्रह किया गया है कि अलीबाग के कई गांवों में ज्वार भाटे वाले इलाकों की सीमा में आने वाले सभी अवैध बंगलों को गिरा दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि ये बंगले महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों और राज्य के भू नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि वर्सोली, ससवाने, कोलगांव और डोकावडे सहित दूसरे गांवों में ऐसे करीब 175 निजी आवासों का निर्माण हुआ है। ये बंगले नीरव मोदी सहित दूसरे अमीर व्यापारियों और फिल्म कलाकारों के हैं। गौरतलब है कि नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है और वह देश छोड़कर फरार हो गया है।

मस्तिष्क के साइज का क्षमता व स्मृति से है खास लिंक, शोध में सामने आए रोचक तथ्य

सिडनी, 07 दिसम्बर (ए)। मस्तिष्क के साइज का सीधा संबंध उसकी तार्किक क्षमता और बेहतर स्मृति से जुडा है। इस बात का खुलासा एक शोध में हुआ है । अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार बड़े आकार के मस्तिष्क के बहुत फायदे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि बड़ा मस्तिष्क अधिक तार्किक होता है। इसके अलावा उसकी स्मृति क्षमता भी अधिक होती है। शोधकर्ताओं ने इस प्रयोग के लिए 13,600 लोगों का चयन किया और उनका एमआरआइ स्कैन किया गया। यह प्रमुख खोज दो सौ वर्ष पूर्व किए गए शोधों को लिंक करती है। इसमें महिला और पुरुष के मस्तिष्क का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के नतीजों को जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित किया गया है। अमेरिका और नीदरलैंड और आस्ट्रलिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बड़ा मस्तिष्क आपकी स्मृति, तर्क और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके कार्यों में बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरित करता है। शोध टीम के प्रमुख वैज्ञानिक पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिदोन नेव का कहना है कि छोटे मस्तिष्क वाले व्यक्ति की तुलना में बड़े मस्तिष्क वाला व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करता है। इसी तरह महिला और पुरुषों के मस्तिष्क के आकार में पर्याप्त अंतर के बावजूद दोनों के प्रदर्शन और क्षमता में बहुत अंतर नहीं पाया गया। प्रोफेसर नेव ने कहा, महिलाओं और पुरुषों में लंबाई के लिहाज से मस्तिष्क की साइज में एक बहुत बड़ा अंतर पाया गया, लेकिन यह अंतर कार्यक्षमता या उसके प्रदर्शन में भेद नहीं करता है। उनका कहना है कि दरअसल, मस्तिष्क के बाहरी हिस्से की ऊपरी परत सेरेब्रल कॉर्टेक्स पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मोटी होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मोटी परत महिलाओं के लिए वरदान है। इसके चलते महिलाओं के छोटे मस्तिष्क के बावजूद उनकी कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होती है। दरअसल, यह अध्ययन एक डेटासेट पर आधारित था। इसमें करीब 60 लाख ब्रिटिश लोगों की जानकारी और राय को शामिल किया गया है। इसके साथ इसमें बीस हजार प्रतिभागियों के स्वास्थ्य, जेनेटिक्स के साथ-साथ मस्तिष्क स्कैन की भी जानकारी शामिल है। नीदरलैंड में वीआरजे यूनिवर्सिटिट एम्स्टर्डम में प्रोफेसर और इस अध्ययन के सहलेखक फिलिप कोलिंगर का कहना है कि इस प्रकार यह अपने आप में अनोखा शोध है।

ट्रंप के गोल्फ क्लब में काम करने वालों के पास नहीं है कोई दस्तावेज

न्यूयॉर्क, 07 दिसम्बर (ए)। अवैध आव्रजकों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्यू जर्सी स्थित गोल्फ क्लब में तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में दावा किया है कि अवैध आव्रजकों को काम नहीं देने और नौकरियां अमेरिकी जनता के लिए सुरक्षित रखने का दावा करने वाले ट्रंप के अपने गोल्फ क्लब में गैर-दस्तावेजी कर्मचारी काम कर रहे हैं। गुरुवार को आयी खबर के अनुसार, ग्वाटेमाला से आयी 43 वर्षीय विक्टोरिना मोरालेस 2013 से ही बेडमिंस्टर स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रही है। फर्जी दस्तावेजों की मदद से नौकरी पाने वाली मोरालेस का काम ट्रंप का बिस्तर ठीक करना और शौचालय साफ करना है। मोरालेस और पूर्व कर्मचारी सांद्रा डिएज (46) ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि क्लब में और भी कई गैर-दस्तावेजी कर्मचारी हैं। सुपरवाइजर उनकी पहचान होने से बचाने और उनकी नौकरियां बनाए रखने के लिए कदम उठाते हैं। डिएज अब अमेरिका की वैध निवासी है। हालांकि अखबार का कहना है कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि क्लब में ऐसे कर्मचारियों के काम करने की जानकारी ट्रंप या उनकी पारिवारिक कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशंस के शीर्ष पदाधिकारियों को है।

तालिबानी नेताओं पर प्रतिबंध नहीं लगाने पर भारत ने की संयुक्त राष्ट्र की आलोचना

संयुक्त राष्ट्र, 07 दिसम्बर (ए)। अफगानिस्तान में तबाही और हिंसा फैलाने वाले तालिबान के नये नेताओं पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की, साथ ही अफगानिस्तान में आंतकवाद को लेकर इशारो ही इशारों में पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है।संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर एनम गंभीर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान में हालात को लेकर हुई चर्चा के दौरान कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि अफगानिस्तान में हमलों की योजना बनाने वाले आतंकवादियों की अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा उनका लक्ष्य कुछ और ही है। आतंकी और उनके समर्थकों ने अपने नियंत्रण वाले भू-भाग पर मादक पदार्थों और अवैध खनन का उद्योग खड़ा कर दिया है। वे अफगानिस्तान के लोगों के संसाधन चुराकर हिंसा और आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं।'' गंभीर ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग बेहतर जीवन और शांतिपूर्ण भविष्य चाहते हैं लेकिन उनके सामने हाल के दिनों में चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्होंने हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का उल्लेख किया। सूचकांक में अफगानिस्तान को आतंकवाद के मामले में दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया गया था। इसके मुताबिक 2017 के दौरान दुनियाभर में आतंकवाद के कारण हुई कुल मौतों में से एक-चौथाई मौतें अकेले अफगानिस्तान में ही हुई हैं।